संख्याः– / VI(1) / 2018–02(03) / 2015

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग **देहरादून दिनांक // जनवरी, 2018**

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–2018 में राज्य सेक्टर की ट्रैकिंग मार्गो का सुधार/विकास के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में ओसला सीमा से मलदेड़ू/बयांताल ट्रैक मार्ग का जीर्णोद्वार/विकास एवं हरकीदून से मनिड़ाताल ट्रैक मार्ग का जीर्णोद्वार/विकास निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1024/VI(1)/2016–02(03)/2015, दिनांक 16 जून, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत 02 योजनाओं हेतु ₹ 30.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए क्रमशः ₹ 10.00 लाख एवं ₹ 10.00 लाख इस प्रकार कुल ₹ 20.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उक्त के क्रम में आपके पत्र संख्या–314/2–6–749/2015–16, दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–26 में ट्रैकिंग मार्गो का सुधार/विकास मद में प्रावधानित धनराशि ₹ 70.00 लाख में से निम्नलिखित 02 योजनाओं हेतु संस्तुत धनराशि ₹ 30.00 लाख के सापेक्ष उनके सम्मुख कॉलम–5 में अंकित धनराशि अर्थात कुल ₹ 10.00 लाख **(रूपये दस लाख मात्र)** की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :– (रूपये धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017–18 में मांग के अनुसार स्वीकृत की जा रही अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद उत्तरकाशी में ओसला सीमा से मलदेड़ू/बयांताल ट्रैक मार्ग का जीर्णोद्वार/विकास निर्माण कार्य	14.16	10.00	4.16
2	जनपद उत्तरकाशी में हरकीदून से मनिड़ाताल ट्रैक मार्ग का जीर्णोद्वार/विकास कार्य	15.84	10.00	5.84
	योग :–	**30.00**	**20.00**	**10.00**

(i) धनराशि अवमुक्त से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित शर्ते यथावत रहेंगी।

(ii) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय।

(iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iv) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

(v) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

...2

(vi) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(vii) आवंटित धनराशि का उपभोग 31 मार्च, 2018 तक कर लिया जाय। अवशेष धनराशि समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा। बजट योजनावार आवंटन उसके विपरीत मासिक योजनावार व्यय का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(ix) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(x) कार्य के प्रति पूर्ण भुगतान करने से पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता की चेकिंग का कार्य उक्त अनुमोदित लागत से कराये जाने के बाद कार्य अनुमोदित आगणन के अनुसार होने की पुष्टि पर ही भुगतान किया जायेगा। यह दायित्व निदेशक पर्यटन का होगा। अतः निदेशक पर्यटन Third party Monitering की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

(xi) कार्यदायी संस्था के निर्धारण में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–104–संवर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–53–ट्रैकिंग मार्गो का सुधार/विकास–24–वृहत् निर्माण कार्य मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में निहित प्राविधानों के अधीन जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S1801260236....द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः– 160 /VI(1)/2018–02(03)/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त योजना की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
5– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
6– वित्त अनुभाग–2. उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।